

आदेश :-

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्र संख्या-02/आ0प्र0 दिनांक-11.03.17 द्वारा वित्तीय वर्ष-2017-18 में स्थापना एवं प्रतिवेदन व्यव मुख्य वजह शीर्ष-2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण सहित, उप मुख्य शीर्ष-02 बाढ वक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101-अनुग्रहिक सहित, उपशीर्ष-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति (अग्नि) विपत्र कोड-39-2245021010002, विषय शीर्ष - 3701 अनुग्रह अनुदान, मांग संख्या-39 के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन क्रमशः मो०- 15,00,000.00 (पन्द्रह लाख) रूपये मात्र में से निम्नलिखित अंचल पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित राशि का उपावंटन करते हुए निकासी की स्वीकृति दी जाती है।

निदेश दिया जाता है कि उपावंटित राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अग्नि से प्रभावित/पीड़ित परिवारों के बीच भुगतान की गई राशि के समायोजन विभागीय मानदर/सरकारी दिशा-निर्देशों के आलोक में करेंगे तथा किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं करेंगे। यह भी निदेशित किया जाता है कि कोषागार से राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखेंगे तथा व्यय नहीं होने की स्थिति में दि० 31.03.2018 तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजना भी सुनिश्चित करेंगे। यह आवंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक-2561 [वि०(2)] दि०-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों को अक्षरशः पालन किया जाय। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदा० ही जिम्मेदार होंगे।

आपदा प्रभावित परिवारों को देय की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.2016 द्वारा निर्गत निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को विहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग/जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार को अचुक रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

| क्र० | अंचल पदा० का नाम | अग्निकांड से प्रभावित परिवारों की सं० | | | विभाग से प्राप्त आवंटन राशि | शीर्ष 2245-02-101-0002- खाद्यान्न की आपूर्ति (अग्नि) (@3000) | | | |
|------------|------------------|---------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------|
| | | पूर्व सं० | वर्तमान सं० | कुल सं० | | पूर्व उपावंटित राशि | वर्तमान उपावंटित राशि | कुल उपावंटित राशि | अवशेष राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | कटिहार | 4 | 9 | 13 | 15,00,000.00 | 12,000.00 | 27,000.00 | 39,000.00 | - |
| 2 | डंडखोरा | 25 | | 25 | | 75,000.00 | | 75,000.00 | - |
| 3 | कोढा | 14 | 3 | 17 | | 42,000.00 | 9,000.00 | 51,000.00 | - |
| 4 | फलका | 6 | 6 | 12 | | 18,000.00 | 18,000.00 | 36,000.00 | - |
| 5 | बरारी | 24 | 16 | 40 | | 72,000.00 | 48,000.00 | 1,20,000.00 | - |
| 6 | हसनगंज | 5 | 7 | 12 | | 15,000.00 | 21,000.00 | 36,000.00 | - |
| 7 | प्राणपुर | 9 | | 9 | | 27,000.00 | | 27,000.00 | - |
| 8 | समेली | 4 | | 4 | | 12,000.00 | | 12,000.00 | - |
| 9 | कूर्सला | 3 | | 3 | | 9,000.00 | | 9,000.00 | - |
| 10 | मनसाही | 1 | | 1 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | - |
| 11 | मनिहारी | 9 | 3 | 12 | | 27,000.00 | 9,000.00 | 36,000.00 | - |
| 12 | अमदाबाद | 76 | 3 | 79 | | 2,28,000.00 | 9,000.00 | 2,37,000.00 | - |
| 13 | कदवा | 10 | | 10 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | - |
| 14 | आजमनगर | 122 | | 122 | | 3,66,000.00 | | 3,66,000.00 | - |
| 15 | बारसोई | 58 | | 58 | | 1,74,000.00 | | 1,74,000.00 | - |
| 16 | बलरामपुर | 12 | | 12 | | 36,000.00 | | 36,000.00 | - |
| कुल योग :- | | 382 | 47 | 429 | 15,00,000.00 | 11,46,000.00 | 1,41,000.00 | 12,87,000.00 | 2,13,000.00 |

(मो० एक लाख एकतालीस हजार) रूपये मात्र।

26

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक 509/आ०प्र० II-1 & IV-01/2016-17, दिनांक 26/03/18

प्रतिलिपि :-सभी संबंधित अंचल पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :-अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार एवं मनिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, कटिहार एवं बारसोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :-आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/3/18

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।